(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 9/2020

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री प्रधूमन पुत्र रामकुमार उम्र 20वर्ष जाति किराड निवासी बांसखेड़ा माल पोस्ट समरानिया तह0 शाहबाद जिला बाराँ(मौके पर मौजूद विक्रेता)। मैसर्स रामा स्वीट्स एण्ड नमकीन, हॉस्पिटल के सामने समरानिया तह0 शाहबाद जिला बारां।
2. श्री रामकुमार पुत्र नारायण लाल जाति किराड निवासी बांसखेड़ा माल पोस्ट समरानिया तह0 शाहबाद जिला बाराँ (लाइसेन्स धारी)। मैसर्स रामा स्वीट्स एण्ड नमकीन, हॉस्पिटल के सामने समरानिया तह0 शाहबाद जिला बारां।
3. श्री अजित कुमार सिंघल पुत्र कानमल निवासी बैंक वाली बस्ती केलवाड़ा तह0 शाहबाद जिला बारां। मैसर्स सिंघल किराना स्टोर, बस स्टैण्ड केलवाड़ा तह0 शाहबाद जिला बारां।
4. श्रीमति संगिता माहेश्वरी निवासी वार्ड नं0 25 मांगरोल रोड बारां। मैसर्स के0 आर0 ट्रेडर्स, बौहरा बगीची, किरण मार्केट बारां।
5. श्री विजय कुमार पुत्र विशनदास खूबचन्दानी निवास 107 शक्ति नगर कोटा–324009। मैसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, न्यू कॉलोनी गुमानपुरा, कोटा।
6. M/s BIKANER GLOBAL PRIVATE LIMITED, H-79, Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner-334004

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– स्वंय उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1 व 5)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 2,4 व 6)
4– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 3)

निर्णय दिनांक 16.10.2020

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.03.2019 को श्री मैसर्स रामा स्वीट्स एण्ड नमकीन, हॉस्पिटल के सामने समरानिया तह0 शाहबाद जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री प्रधुमन पुत्र रामकुमार (मौके पर मौजूद विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति मे नि[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.10 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 08.03.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0** पैक डिब्बे में विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0** में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0** के 04 पैक डिब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री प्रधूमन पुत्र रामकुमार (मौके पर मौजूद विक्रेता) को राशि 400/– रूपये (अक्षरे चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0** के 04 पैक डिब्बे को चार नमूना भागो मे अलग–अलग कर मूल ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–908 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–908 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री प्रधूमन पुत्र रामकुमार ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.10 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/100 दिनांक 02.04.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 156/FSSA/Act/2019/174 दिनांक 28.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 26 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स रामा स्वीट्स एण्ड नमकीन, हॉस्पिटल के सामने समरानिया तह0 शाहबाद जिला बारां से पत्रांक 101 दिनांक 03.04.2019 से सूचना चाही गई, जिसकी पालना में मैसर्स रामा स्वीट्स एण्ड नमकीन, हॉस्पिटल के सामने, समरानिया तह0 शाहबाद जिला बारां द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, आधार कार्ड एवं क्रय बिल कार्यालय में पेश किये गये।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 5 स्वंय उपस्थित रहे है। अप्रार्थी क्रम 3 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है एवं अप्रार्थी क्रम 2, 4 व 6 बावजूद सूचना के इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण में उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0** पैक डिब्बे को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा (2) (II) के तहत **मिथ्याछाप (Mis branded)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 व 5 एवं अप्रार्थी क्रम 3 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0** 04 पैक डिब्बे वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदे थे। जिसमें हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई हैं। जॉंच रिपोर्ट के अनुसार जो त्रुटि की गई है वो दुरूस्त कर ली गई है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 156/FSSA/Act/2019/174 दिनांक 02.04.2019 से असन्तुष्ट था, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.10 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन एवं मनन/विश्लेषण करने पर पाया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रसगुल्ला (DMF) 01 कि0 ग्रा0 के** 04 पैक डिब्बे खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 156/FSSA/Act/2019/174 दिनांक 02.04.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा (2) (II) के तहत **मिथ्याछाप** (**Misbranded**) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1,2,3 एवं 4 को राशि 1000/—रू., 1000/—रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 5 व 6 को 5000/—रू., 5000/—रूपये पत्रावली में कुल जुर्माना राशि 14,000/— रूपये (अक्षरे चौदह हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 2,4 व 6 के इस न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि जर्ये तहरीर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.10 18:02:48 IST
Reason: SelfAttested